

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE DHAMTARI (C.G.)

// ORDER //

No. Q / I-11-02/2018

Dhamtari, dated 02 February, 2018

1. I Jagdamba Rai, District & Sessions judge, Dhamtari in exercise of power vested in me by virtue of Sec. 15 and 21 (3) (4) of the C.G. Civil court Act. 1958 and I hereby distribute the Civil, Claim, Special Cases, Sessions Trials, other Criminal Work & Application except Magisterial jurisdiction, among the courts, Tribunals of Dhamtari Civil District as follows.
2. All the M.A.C.T. Cases arising out of this Civil district shall be presented before the Motor Accident Claims, Tribunal (District & Session judge) Dhamtari for proper distribution.
3. The Distribution memo shall come into force from **05.02.2018**. However, it shall not affect the pending civil or criminal works except as provided in the distribution Memo:-

S.No.	Name of Court	Area of Exercise of jurisdiction	Kind of Cases	Remark
1	2	3	4	5
1.	District & Sessions Judge, M.A.C.T. Dhamtari	Civil District Dhamtari & Sessions Division Dhamtari	<ol style="list-style-type: none">1. Sessions Trials except rape cases.2. Criminal Appeals.3. Criminal Revisions.4. Application for transfer of criminal cases5. Bail petitions U/s 438 and 439Cr .P.C.6. Other Misc. Cr. Cases.7. All Cases Under ST/SC (P&A) Act, 1989 with bail petitions, MJC & Remand.8. All Cases with connected MJC and bail petitions under N.D.P.S. Act & Remand.9. All Cases under prevention of corruption Act .with Connected Misc. Cr. Cases, Bail petition & Remand.10. All Cases under Electricity Act 2003 with connected misc. Criminal Cases, bail Petition & Remand. .11. Cases under section protection of depositors Interests Act, 200512. Cases under the Drugs and Cosmetics Act, 1940.13. All Civil Suits above Rs. 10,00,000/ in value with MJC and execution proceeding connected there to.14. All Arbitration Cases up to Rs. 25,00,000/- in value with MJC , and execution cases connected there with & cases which are instituted as per connected there with & cases which are instituted as per scheme framed. by Hon'ble the chief justice.15. All Cases under the cooperative Societies Act. above Rs. 10,00,000/- in value.16. All Cases under the public trust Act, 1961.17. All Cases under the trade mark Act. 1999 and copyright Act 1957.	

			<p>18. All cases under the companies Act Triable by District Judge.</p> <p>19. All Cases under the state Financial Corpn. Act. 1951.</p> <p>20. All application U/s 24 C.P.C.</p> <p>21. All regular and Misc. appeals arising out of the judgment, decrees and orders of all civil Judges of District Dhamtari.</p> <p>22. All appeals U/s 31 of C.G. Accommodation control Act 1961.</p> <p>23. Motor accidents Claims U/s. 163 (a) 166 & 140 of M.V. Act 1988 with MJC & Execution proceedings connected there to .</p> <p>24. All references under the land acquisitions Act.</p> <p>25. All cases under Commercial act of the jurisdiction of this court except the cases triable by special commercial Court at Raipur.</p> <p>26. All Cases under Indian successions Act. 1925 (except those which have been assigned to the C.J. Class -I Dhamtari, Kurud & Nagri)</p> <p>27. All cases Under provincial insolvency Act .</p> <p>28. All cases Under Food Safety Appellate Tribunal Act .</p> <p>29. All cases of public premises Act of Dhamtari Revenue District.</p> <p>30. All Small cause above Rs. 500/- to Rs. 1000/- in value with MJC and execution connected there to.</p> <p>31. All Civil Cases not assigned to any other civil court under this distribution distribution memo.</p>
2	ADJ/ASJ/Addl. M.A.C.T. Dhamtari	Civil District. Dhamtari & Sessions Division Dhamtari	<p>1. Sessions Trials, Cr. Appeal, Cr. Revisions , Misc. Cr. Cases, Bail petitions as may be transfered or made over by the Sessions judge Dhamtari.</p> <p>2. All those civil cases disposed off by the addl. ADJ-I/ASJ-I Dhamtari which are received from the appellate court and cases received after remand from the appellate court</p> <p>3. Any other work entrusted by the Distt. & Sessions Judge, Dhamtari</p>
3.	ADJ/ASJ/Addl. M.A.C.T. (F.T.C.) Dhamtari	Civil District Dhamtari & Sessions Division Dhamtari	<p>1. Sessions Trials , Cr. Appeal, Cr. Revisions, Misc. Cr. Cases, Bail petitions as may be transfered or made over by the Sessions judge, Dhamtari .</p> <p>2. Cases under Sexual offenses (rape cases)</p> <p>3. Cases related to "Children's Court" for trial of offences against Children.</p>

			4. Any other work entrusted by the Distt. & Sessions Judge, Dhamtari.
4.	Link Court Kurud, ADJ/ASJ/Addl. M.A.C.T. Dhamtari	Kurud & Magarload Tahasil	1. Sessions Trials , Cr. Appeal, Cr. Revisions, Misc. Cr. Cases, Bail petitions as may be transfered or made over by the Sessions judge, Dhamtari . 2. Any other work entrusted by the District & Sessions Judge,Dhamtari
5.	Ist CJ-I & C.J.M. Dhamtari	Dhamtari & Nagari Tahasils	1. All Civil Matters transferred or made over by the Distt.& Sessions Judge Dhamtari. 2. All Civil suits above Rs 5,00,001/- upto 10,00,000/- in value with MJC's and execution proceedings connected there to. 3. All cases under part- X of the Indian successions Act. 4. All appeals under the C.G. Municipalities Act 1961 cognizable by C.J. Class-I 5. All Small cause Cases up to Rs. 500/- in value with MJC's and execution connected there to. 6. All execution and MJC's arising out of civil suits decided by the II civil judge class I Dhamtari . 7. All those civil cases disposed off by the II CJI Dhamtari which are received from the appellate court and cases received after remand from the appellate court. 8. Any other work entrusted by the Distt. & Sessions judge Dhamtari 9. All cases under guardian and wards act & all suits or proceeding relating to the custody of properties of the minor under guardian and wards Act.
6.	II nd CJ-I / J.M.F.C. Dhamtari (Vacant Court)	----	----
7.	I st CJ- II / J.M.S.C. Training Judge, Dhamtari	----	----
8.	II nd CJ-II/ J.M.F.C Dhamtari	Dhamtari Tahasil	1. All Civil suits upto Rs 5,00,000/- in value with MJC's & execution proceedings connected there to. 2. All Civil Matters transferred or made over by the Distt.& Sessions Judge Dhamtari. 3. Any other work entrusted by the Distt. & Sessions Judge Dhamtari 4. All Criminal Cases/matters transferred or made over by CJM Dhamtari.

			<ol style="list-style-type: none"> 5. All Execution and M.J.Cs arising out of civil suits decided by the II Civil judge class II/ Link Court CJ II Dhamtari 6. All those civil cases disposed off by the II CJ II /Link Court CJ II Dhamtari Which are received from the appellate court and cases received after remand from the appellate court.
9.	CJ I & J.M.F.C. Kurud	Kurud Tahasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. All Civil matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge Dhamtari. 2. All Civil suits up to Rs.10,00,000/ in value with MJC's, and execution proceedings connected there to. 3. All cases under part- X of the Indian successions Act. 4. All Small cause Cases upto Rs. 500/- in value with MJC's and execution connected there to. 5. All cases under guardian and wards Act. 6. Any other work entrusted by the Distt.& Sessions judge Dhamtari 7. All appeals under the C.G. Municipalities Act.1961 cognizable cognizable by C.J. Class-I 8. All execution and MJC's arising out of civil suits decided by all the civil judges Class-II of kurud & II CJ II Dhamtari at Kurud. 9. All those civil cases disposed off by the CJ Class II Kurud, II CJ Class II Dhamtari at Kurud and class II Link court which are received from the appellate court and cases received after remand from the appellate court. 10. All Criminal Cases/matters transferred or made over by CJM Dhamtari.
10.	CJ II/ J.M.F.C. Link Court, Kurud	Kurud Tahasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. All Civil Matters transferred or made over by the District. & Sessions Judge, Dhamtari. 2. Any other work entrusted by the Districtt. & Sessions Judge, Dhamtari. 3. All Criminal Cases / Matters transferred or made over by CJM Dhamtari.
11.	CJ II/ J.M.F.C. Nagari	Nagari (Sihawa) Tahasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. All Civil suits upto Rs. 5,00,000/- in Value with MJC's & execution proceedings connected there to. 2. All Civil Matters transferred or made over by the Distt. & Sessions Judge, Dhamtari.

		3. Any other work entrusted by the Distt. & Sessions Judge, Dhamtari	
		4. All Criminal Cases / matters transferred or made over by CJM Dhamtari.	

NOTE :-

1. All Motor Accident Claims Cases Arising out of one accident pending in various Tribunal in this Civil District. Are required to be tried by a tribunal as per law. For these cases, office is directed to obtain information from concerned Tribunal / Agencies and Send Those Cases to that tribunal where first case was registered and pending and that tribunal shall acquire jurisdiction to try and decide all these connected cases in accordance with provisions made in law/rules for their disposal.
2. In non availability of any judge D.J./A.D.J./ADJ (F.T.C.)/Link Court ADJ Kurud (due to leave or transfer) urgent work and other necessary work will be looked after by following order:-
D.J. Dhamtari > A.D.J. Dhamtari > A.D.J.(F.T.C.) Dhamtari > Link Court A.D.J Kurud.
A.D.J. Dhamtari > A.D.J. (F.T.C.) Dhamtari > D.J. Dhamtari > Link Court A.D.J Kurud.
A.D.J. (F.T.C.) > A.D.J. Dhamtari > D.J. Dhamtari > Link Court A.D.J Kurud.
Link Court A.D.J Kurud > A.D.J. Dhamtari > A.D.J.(F.T.C.) Dhamtari > D.J. Dhamtari.
3. At dhamtari / Kurud / Nagari non availability of any Civil judge (due to leave or transfer) urgent work and other necessary work will be looked after by following order:-
(1) I CJ I Dhamtari > I CJ II Dhamtari > CJ I Kurud
(II) I CJ II Dhamtari > I CJ I Dhamtari > CJ I Kurud.
(III) CJ I Kurud > CJ II Link Court Kurud > I CJ I Dhamtari.
(IV) CJ II Link Court Kurud > CJ I Kurud > I CJ I Dhamtari.
(V) CJ II Nagari > I CJ II Dhamtari > I CJ I Dhamtari.
4. In my absence or inability to act, the disposal of urgent applications or Misc. Judl. Criminal works will be looked after by the Addl. District & Sessions judge Dhamtari. Once a bail petition is decided by Addl. Sessions Judge Dhamtari/ Addl. Sessions Judge (F.T.C.) Dhamtari/Link Court Addl. Sessions Judge, Kurud any subsequent bail petition shall be heard & disposed by the ASJ/ASJ (F.T.C.) Dhamtari & formal order of transfer of bail petition is not required.
5. All Works for which no provision is made in this memo shall be presented before District & Sessions Judge Dhamtari for proper order.

Sd/
(Jagdamba Rai)
District and Sessions Judge,
Dhamtari (C.G.)

न्यायालय—मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला धमतरी (छ.ग.)
// दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक क ———/सी.जे.एम./2019

धमतरी, दिनांक 04/01/2020

मैं मोना चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किये गये पूर्व के समस्त आदेश को निरस्त करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के अंतर्गत वैधित शक्तियों के अंतर्गत जिला धमतरी, तहसील कुरुद एवं तहसील नगरी में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य कार्य की सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार दांडिक कार्य विभाजन करती हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन दिनांक 04.01.2020 से प्रभावशील होगा—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	आबंटित आरक्षी केन्द्र		कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र धमतरी	क	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरण।
			ख	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण।
			ग	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नगरपालिक निगम धमतरी से उत्पन्न होने वाले समस्त अपराधिक प्रकरण।
			घ	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न बाल श्रमिक (प्रतिषेध) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।

			<p>ड. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न वन अपराध एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधिक प्रकरण</p>
			<p>च स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत ई. सी. एक्ट के प्रकरण।</p>
			<p>छ स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत धारा 34(1) आबकारी अधिनियम एवं धमतरी जिले में स्थापित समस्त थानों के अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के प्रकरण तथा आबकारी वृत्त एवं पश्चिम धमतरी से उत्पन्न समस्त आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p>
			<p>ज जिला परिवहन अधिकारी धमतरी एवं यातायात धमतरी द्वारा प्रस्तुत ईशतागाशा, अभियोग पत्र, सुपुर्दनामा इत्यादि जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार में है।</p>
			<p>झ विशेष अधिनियम के प्रकरण जिसके विचारण का अनन्यतः क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का है। धमतरी जिले के समस्त थानों एवं उनकी चौकियों से उत्पन्न खारिजी के प्रकरण।</p>

			ज	लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 (Prohibition of sex selection act, 1994)
			ट	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश तथा सौंपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
02	महेश बाबू साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद जिला धमतरी(छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र कुरुद, भखारा एवं मगरलोड तथा उक्त थानों से संबंधित पुलिस चौकी।	क	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों एवं उनके चौकियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवार प्रकरण, खात्मा प्रकरण एवं एन. डी.पी.एस.एक्ट अमेंडमेंट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।
			ख	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरण, नगर पंचायत से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, वन अधिनियम एवं वन्य जीव अधिनियम से संबंधित अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			ग	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से उत्पन्न एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत शराब से संबंधित अपराधिक प्रकरण जिनमें जप्त शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से कम हो।

			घ	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।	
			ड.	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत के प्रकरण, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।	
			च	लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 (Prohibition of sex selection act, 1994)	
			छ	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश एवं अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।	
3.	सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय कुरुद, जिला धमतरी (छ.ग.)	-----	क	माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा समय समय पर अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।	
4	सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नगरी जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी सिहावा, केरेगांव, मेचका, बोरई एवं उक्त	केन्द्र नगरी, दुगली, खल्लारी, उक्त	क	स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस.

	थानों से संबंधित पुलिस चौकियां	<p>अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>ख स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण, निवारण अधिनियम के प्रकरण, नगर पंचायत से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, वन अधिनियम एवं वन्य जीव अधिनियम से संबंधित अपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>ग स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से उत्पन्न एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत शराब से संबंधित अपराधिक प्रकरण जिनमें जप्त शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से कम हो।</p> <p>घ स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>ड. स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत के प्रकरण, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधि0 से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
--	--------------------------------	--

			<p>च लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 (Prohibition of sex selection act, 1994)</p> <p>छ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश एवं अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
5	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र अर्जुनी	<p>क स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरण।</p> <p>ख स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से उत्पन्न एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत शराब से संबंधित अपराधिक प्रकरण जिनमें जप्त शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से कम हो।</p> <p>ग आरक्षी केन्द्र रूद्री, अर्जुनी, सिटी कोतवाली धमतरी, अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत के प्रकरण, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण</p>

			<p>करना।</p> <p>घ स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वन अपराध, वन्य जीव संरक्षण अधि., खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>ड. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश एवं अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
06	सुश्री श्वेता गोस्वामी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र रुद्री	<p>क स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरण।</p> <p>ख स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से उत्पन्न एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत शराब से संबंधित अपराधिक प्रकरण जिनमें जप्त शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से कम हो।</p> <p>ग माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश एवं अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

07	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र अकलाडोंगरी	<p>क स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त अपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, खात्मा प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अंतर्गत मादक पदार्थों के अल्पमात्रा से संबंधित प्रकरण।</p> <p>ख स्तंभ क्रमांक 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से उत्पन्न एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत शराब से संबंधित अपराधिक प्रकरण जिनमें जप्त शराब की मात्रा 05 बल्क लीटर से कम हो।</p> <p>ग आरक्षी केन्द्र रुद्री, अर्जुनी, सिटी कोतवाली धमतरी, अकलाडोंगरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>घ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश-निर्देश एवं अंतरित/सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
----	--	------------------------------	--

आवश्यक टिप्पणी-

01. मान. उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा, अभियोग पत्र ग्रहण किए जाने बाबत तथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्यूटर प्रति/टंकिट प्रति, साक्षियों के फोटो, जप्तशुदा संपत्ति, चिकित्सकीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य आदि के संबंध में

दिए गए समस्त निर्देशों का पालन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेंगे।

02. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृति के कथन कार्य विभाजन आदेश के साथ संलग्न अनुसूची "अ" के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

03. ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विस्तृत उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है एवं अन्य किसी प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में विशेष परिस्थिति में जिला धमतरी के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न प्रकरणों (विशेष न्यायालयों/विशेष सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर) के विधिवत निराकरण वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

04. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी जिले में समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय/मोबाइल कोर्ट लगाया जावेगा।

05. न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर होने एवं स्थानान्तरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहने पर अनुसूची "ब" के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे, जिसमें अन्य न्यायालय के रिमाण्ड, वारंट, वारंट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन का निराकरण किया जाना शामिल है।

06. अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का अभियोग पत्र लेकर, अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु भादसं की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधि. की धारा 13 जुआ एक्ट, धारा 36च आबकारी एक्ट के तहत ऐसा प्रकरण जिनके आरोपीगण स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों में अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा।

07. न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेटगण प्रकरण की कार्यवाही के समय, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंधों की अवहेलना ना हो।

08. कार्य विभाजन आदेश एवं अनुसूची "अ" तथा अनुसूची "ब" के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण की दशा में अन्य आगामी आदेश पर्यंत, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार ही कार्य संपादित करेंगे।

09. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की लिखित अनुशंसा पर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय धमतरी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किसी भी प्रकार के अवकाश पर अपने मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

10. जिला धमतरी के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के ऐसे समस्त अन्य कार्य जिनका विवरण उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं है, वे अग्र कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी के न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे।

11. कुरुद क्षेत्र के रिक्त न्यायालय से उत्पन्न समस्त विविध आपराधिक मामले श्री महेश बाबू साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

12. धमतरी जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी के रिक्त न्यायालय से उत्पन्न समस्त विविध आपराधिक मामले श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(मोना चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

// अनुसूची "अ" //

धमतरी जिले में स्थापित थानों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरणों जिसमें धारा 164 दप्रसं के अंतर्गत स्वीकृति/संस्वीकृति/बयान दर्ज किया जाना है, निम्नानुसार आरक्षी केन्द्रों के प्रकरणों में उनके नाम के आगे दर्शित कंडिका में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा एवं उनके अवकाश पर रहने अथवा रिक्ति की स्थिति में उनके आगे के कॉलम में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा (क्रमानुसार) संपादित किये जायेंगे—

क.	थानों का नाम	संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम नं 03 के अनुपस्थिति संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम नं 03 व 04 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम
01	02	03	04	05
01	धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी
02	अर्जुनी	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	श्री महेश बाबू साहू जेएमएफसी कुरुद/अध्यक्ष जे.जे.बोर्ड धमतरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)
03	रुद्री	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	श्री महेश बाबू साहू जेएमएफसी कुरुद
04	अकलाडोंगरी	सुश्री श्वेता	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह	श्री महेश बाबू साहू

		गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	जेएमएफसी धमतरी	जेएफएफसी कुरुद/ अध्यक्षजे.जे.बोर्ड धमतरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)
05	आरक्षी केन्द्र भखारा, कुरुद एवं मगरलोड एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत प्रकरण	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी
06	नगरी, सिहावा, केरेगांव, दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई एवं उनके अधीनस्थ चौकियों से उद्भूत प्रकरण	श्री महेश बाबू साहू जेएफएफसी कुरुद	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी
07	आरक्षी केन्द्र अर्जुनी से उद्भूत <u>अपचारी</u> <u>बालकों के</u> <u>प्रकरणों में</u>	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	सुश्री आस्था यादव जेएमएफसी शृंखला न्याया. कुरुद/ जेएफएफसी नगरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)
08	आरक्षी रूद्री से उद्भूत <u>अपचारी</u> <u>बालकों के</u> <u>प्रकरणों में</u>	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	सुश्री आस्था यादव जेएमएफसी शृंखला न्याया. कुरुद/ जेएफएफसी नगरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)
09	आरक्षी अकलाडोंगरी से उद्भूत <u>अपचारी</u> <u>बालकों के</u> <u>प्रकरणों में</u>	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	सुश्री आस्था यादव जेएमएफसी शृंखला न्याया. कुरुद/ जेएफएफसी नगरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)
10	आरक्षी केन्द्र नगरी, सिहावा, दुगली, मेचका, खल्लारी, बोराई, कुरुद, भखारा,	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	श्री राहूल कुमार जेएमएफसी धमतरी

मगरलोड से उदभूत अपचारी बालकों के प्रकरणों में			
--	--	--	--

टिप्पणी-

01. धारा 164 दप्रसं के तहत प्रस्तुत होने वाले कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर उसी दिन अथवा उसके अगले 1-2 दिनों के अंदर विधिवत द.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(मोना चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

// अनुसूची "ब" //

क.	अधिकारीगण का नाम	अवकाश में रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अत्यावश्यक कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम	स्तंभ क. 02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से अत्यावश्यक कार्य देखने वाले अधिकारी का नाम
		स्तंभ क. 01	स्तंभ क. 02	स्तंभ क. 03
1	मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी
2	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
3	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी

4	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	मोना चौहान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी
5	श्री महेश बाबू साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद	सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शृखंला न्यायालय कुरुद	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी
6	सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शृखंला न्यायालय कुरुद	श्री महेश बाबू साहू जेएफएफसी कुरुद/ अध्यक्ष जे.जे.बोर्ड धमतरी (पी.ओ.जहां भी उपलब्ध हो)	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी
7	सुश्री आस्था यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगरी	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी	श्री राहूल कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी

टिप्पणी—

01. उपरोक्तानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण की दशा में अन्य प्रभार लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य आदेश पर्यन्त उपरोक्तानुसार ही कार्य करेंगे।
02. उपरोक्त अनुसूची "ब" के अनुसार अत्यावश्यक कार्य बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेंगे।
03. अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किए जाने से पूर्व मान. सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(मोना चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

// अनुसूची "स" //
रिमांड ड्यूटी

अवकाश के दिनों में रिमांड ड्यूटी हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय 03:00 बजे दोपहर न्यायालय में उपस्थित होकर रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादित किये जायेंगे—

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	तिथि	रिमांक
1	श्री राहुल कुमार जेएमएफसी धमतरी	01 से 10 तारीख व उसके मध्य पड़ने वाले अवकाश दिवस में	
2	सुश्री श्वेता गोस्वामी जेएमएफसी धमतरी	11 से 20 तारीख व उसके मध्य पड़ने वाले अवकाश दिवस में	
3	श्री गिर्जेश प्रताप सिंह जेएमएफसी धमतरी	21 से 31 तारीख व उसके मध्य पड़ने वाले अवकाश दिवस में	

आवश्यक टीप :-

01. उक्त उल्लेखित अनुसार रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य अवकाश दिवस हेतु ही होगा।
02. न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश व मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में अनुसूची "ब" में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेटों को पूर्व सूचना/अपने आवेदन की प्रतिलिपि प्रेषित करेंगे तथा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुसूची "ब" के अनुसार रिमाण्ड/अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।
03. तहसील कुरुद व नगरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य विभाजन में उल्लेखित उक्त क्षेत्र के थाने हेतु प्रत्येक अवकाश दिवस में रिमाण्ड/अत्यावश्यक कार्य संपादित करेंगे।

(मोना चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. प्रस्तुतकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी को सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी को सादर सूचनार्थ अग्रेषित।

04. श्री महेश बाबू साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद/सुश्री आस्था यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नगरी एवं श्रृंखला न्यायालय कुरुद/श्री गिर्जेश प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, सुश्री श्वेता गोस्वामी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी, श्री राहूल कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
05. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट धमतरी को सूचनार्थ प्रेषित ।
06. पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी को जिले के संबंधित थानों में प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिक निगम धमतरी को सूचनार्थ ।
08. वनमंडलाधिकारी धमतरी को जिले के समस्त वन कार्यालय में प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।
09. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ धमतरी/कुरुद/नगरी को सूचनार्थ ।
10. जिला अभियोजन अधिकारी, धमतरी को सूचनार्थ ।
11. जिला परिवहन अधिकारी धमतरी को सूचनार्थ ।
12. जिला आबकारी अधिकारी धमतरी को सभी वृत्तों के प्रभारी को प्रेषित किये जाने के पालनार्थ प्रेषित ।
13. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी ।

(मोना चौहान)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला धमतरी (छ.ग.)